



17

प्र.पु.क. अ-१२/२०१७-१८  
पेशी - 1/1/२०१८

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर  
केम्प इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र. इन्हो के समक्ष, 4/2/2018

आज्ञापित  
18-1-18 मा 5/17

प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 11-09-18

पुनरीक्षण अर्ज - अंतर्गत धारा 90(१)(ग) म.प्र.भु.स. संहिता को प्रस्तुत।  
मि.र. - 5824/2018/खरगोन/गुरा.

19-1-18

१. कैलाश पिता स्व. रामचन्द्र पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ४८ वर्ष, धंधा-कृषि,  
निवासी - ग्राम - पाडल्याखुर्द, तहसील -महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

946 पुनरीक्षणकर्ता  
11-9-2018


विरुद्ध

२. संजय पिता स्व. गजानंद पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ४० वर्ष, धंधा-कृषि,  
निवासी - ग्राम - पाडल्याखुर्द, तहसील -महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

.....प्रत्यर्थी

वाद - सीमांकन आदेश बाबत।

इसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।





सदर पुनरीक्षण अर्ज श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, टप्पा करही, तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक २९/अ-१२/ २०१७-१८ मे पारित आदेश दिनांक ०८.०६.२०१७ से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है । साथ मे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है । उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतिया भी अवलोकन हेतु पेश है ।

*(Handwritten signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5824/2018/खरगोन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>